2018/00306

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

ओधराज बनाम रामचरण

किस्म मुकदमा धारा - 223 मि. नं. 171/2018 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री वाई. एम. मंसूर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट श्री बाबूलाल जैन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.5.24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक अपीलांट अनुपस्थित अभिभावक रेस्पो. उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 5.6.2024 को पेश हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अदम हाजरी [illegible]
5.6.24	पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई। अपीलांटगण एवं उनके अभिभावक को तीन बार रुक-रुक कर आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अभिभावक रेस्पो. उपस्थित। अभि. अपीलांट पूर्व पेशी दिनांक 8.5.24 को अनुपस्थित रहे है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी एंव भू प्रबन्धक अधिकारी महोदय कोटा केम्प बारां राज0

1— जोधराज पुत्र छगना जाति चमार निवासी कोटडी सूण्डा

2— पुष्पाबाई पुत्री छगना जाति चमार निवासी कोटडी सूण्डा

3— चमेलीबाई बेवा छगना जाति चमार निवासी कोटडी सूण्डा

4— बाबू पुत्र पांचू जाति चमार निवासी कोटडी सूण्डा

5— पप्पू पुत्र पांचू जाति चमार निवासी कोटडी सूण्डा

6— भीमराज पुत्र पांचू जाति चमार निवासी कोटडी सूण्डा

7— भैरीबाई बेवा पांचू जाति चमार निवासी कोटडी सूण्डा

तह0 व जिला बांरा , राज0

— अपीलान्ट

-- बनाम --

1— रामचरण पुत्र चम्पालाल जाति चमार निवासी कोटडी सूण्डा

2— हेमराज पुत्र चम्पालाल जाति चमार निवासी कोटडी सूण्डा

3— बृजमोहन पुत्र चम्पालाल जाति चमार निवासी कोटडी सूण्डा

4— कल्याणीबाई बेवा चम्पालाल जाति चमार निवासी कोटडी सूण्डा

तह0 व जिला बांरा , राज0

5— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 बांरा जि0 बांरा,राज0

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट विरूद्व निर्णय व अंतिम डिकी दिनाक 16.06.2016 प्रकरण सं0 101/2010 बउनवान जोधराज वगैराह बनाम चम्पालाल वगैराह दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 188 आर. टी. ए. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव मजिस्टेट महोदय, बांरा जिला बांरा, राज0

महोदय,

अपीलान्ट निम्न आधारो पर यह अपील पेश कर निवेदन करते है –

1– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 16.06.2016 खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है ।

2– यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो , साक्ष्यो एंव दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नही करने मे भारी भूल की है ।

3– यह कि दिनांक 16.06.2016 को अंतिम डिकी पारित की गयी है जिसमे जोधराज वगैराह बनाम चम्पालाल वगैराह के नाम से मुकदमा था जिसमे चम्पालाल वर्ष 2012 मे फोत हो गया । किन्तु चम्पालाल के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिये कोई भी प्रार्थना पत्र कायम मुकाम बनाने का 2012 से 2016 तक पेश नही हुआ । अंतिम आदेशिका दिनांक 26.05.2016 की है । अंतिम आदेशिका के बाद कोई तारीख नही दी गयी तथा 16.06.2016 को पचावली राजस्व लोक अदालत न्याय के आपके द्वारा केम्प कोटडी सूण्डा पर पेश

जोधराज